

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02.त0शि0/योजना- 13/2023

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

सुनील कुमार, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गिरिडीह।

विषय:- जिला विज्ञान केन्द्र, गिरिडीह के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 58,77,144/- (रू0 अठावन लाख सतहत्तर हजार एक सौ चौवालीस) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

झारखण्ड राज्य में विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु राज्य के 09 जिलों यथा - गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर एवं दुमका में जिला विज्ञान केन्द्र का सुदृढीकरण कर उक्त केन्द्रों का शीघ्र क्रियाशील बनाकर आम जनता के लिए खोला जाना है। उक्त के निमित्त गिरिडीह जिला में अवस्थित जिला विज्ञान केन्द्र के जीर्णोद्धार हेतु उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक 703 दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्राप्त प्राक्कलन की राशि रू0 58,88,500/- (रू0 अठावन लाख अठारसी हजार पांच सौ) मात्र का विभागीय पत्रांक 20/योजना दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. जिला विज्ञान केन्द्र, गिरिडीह के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित उपायुक्त, गिरिडीह/कार्यकारी एजेन्सी को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक 690 दिनांक 30.08.2024 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में जिला विज्ञान केन्द्र, गिरिडीह के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि की निकासी हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 20/योजना दिनांक 25.09.2024 के आलोक में कुल रू0 58,77,144/- (रू0 अठावन लाख सतहत्तर हजार एक सौ चौवालीस) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेक्निक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, गिरिडीह होंगे तथा कार्य के गुणवत्ता/प्रगति के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात् ही राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
5. झारखण्ड PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जाय तथा कार्य पूर्ण होने तथा राशि व्यय के पश्चात् विभाग को प्रतिवेदन के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित की जाय।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. राशि की निकासी जिला कोषागार, गिरिडीह से की जायेगी।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जायेगा।
12. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी०भी०नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 02.त०शि०/योजना- 13/2023

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 02.त०शि०/योजना- 13/2023 - 13/बजट /राँची, दिनांक- 08.10.2024

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, NREP, गिरिडीह/लेखा शाखा/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 2TS/P-13/2023/13/BUDGET

दिनांक - 08-Oct-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 43 42020210506010545 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02 - तकनीकी शिक्षा 105 - इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान 06 - तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण - इंजीनियरिंग कॉलेज / पॉलिटेक्निक / खानन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार 01-राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण-जीर्णोद्धार. 05 - निर्माण State Scheme	64537	GRDDAD026 SHRI NAMAN PRIYESH LAKRA (IAS) DY. COMMISSIONER GIRIDIH	5,877,144.00 रुपये अठावन लाख सित्थोत्तर हजार एक सौ चवालीस

State Scheme : CONSTRUCTION - RENOVATION OF GOVERNMENT ENGG. COLLEGE, POLYTECHNICS,
Central Scheme : TECHNICAL EDUCATION HUB AND OTHER INFRASTRUCTURE(0133)

योग: रुपये अठावन लाख सित्थोत्तर हजार एक सौ चवालीस

क्रमिक योग:

5,877,144.00

(SUNIL KUMAR)

ADDITIONAL SECRETARY

